Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 16/11/2018

File No. 1 Tour Programme/VC/29/2017/RU-III
2 RH/2/2017/STGBH/DELAAL/RU-III

सेवा में,

जिला कलेक्टर
जिला किशनगंज
(बिहार)

विषयः दिनांक 24.05.2018 को माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में जिला कलेक्टर किशनगंज (बिहार) के साथ कि गई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 24.05.2018 को जिला कलेक्टर किशनगंज (बिहार) के साथ किए गए बैठक ~~कि~~ रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि बैठक कि रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

(आर के दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

प्रतिलिपिः

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RH/2/2017/STGBH/DELAAL/RU-III)

श्री रामजी हेम्ब्रम, जनजाति हितरक्षा प्रमुख, वनवासी कल्याण आश्रम, शीतला गली, सूतापट्टी, मुजफ्फरपुर, बिहार के द्वारा किशनगंज, बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का केंद्र खोलने के क्रम मे वहाँ की जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय को दूर कर कथित रूप से कपट-पूर्वक अवैध तरीके से छीनी गई उनकी भूमि लौटाने के लिए तथा मुआवजा दिलाने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 24.05.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 24.05.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री रामजी हेम्ब्रम, जनजाति हितरक्षा प्रमुख, वनवासी कल्याण आश्रम, शीतला गली, सूतापट्टी, मुजफ्फरपुर, बिहार ने किशनगंज, बिहार मे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का केंद्र खोलने के क्रम मे वहाँ के जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय को दूर कर कथित रूप से कपट-पूर्वक अवैध तरीके से छीनी गई उनकी भूमि लौटाने के लिए तथा मुआवजा दिलाने के मामले में आयोग को दिनांक 25.04.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. अभ्यावेदक के मामले में विचार करते हुये आयोग ने दिनांक 11.05.2017 को एक नोटिस भेजकर प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार तथा जिला कलेक्टर, किशनगंज से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा। निर्धारित समय सीमा

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मे जवाब प्राप्त नही होने पर आयोग द्वारा दिनांक 19.05.2017 को स्मरण पत्र भेजकर पुनः 7 दिन के अंदर जवाब की अपेक्षा की गई।

3. आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर में सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार का दिनांक 29.05.2017 का प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ जिसमे उन्होने जिला कलेक्टर, किशनगंज को मामले मे जवाब उपलब्ध कराने का निदेश दिया। इसके उपरांत जिला कलेक्टर, किशनगंज का दिनांक 20.06.2017 का प्रेषित पत्र आयोग को प्राप्त हुआ जिसमे उन्होने इस संबंध मे अंचल अधिकारी, किशनगंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराई। अभ्यावेदक इस संबंध मे प्राप्त जवाब से संतुष्ट नही हुये। वनवासी कल्याण आश्रम के प्रतिनिधि और प्रभावित जनजाति समुदाय के लोगों ने पुनः माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर मामले की गंभीरता से अवगत कराया। इस पर विचार करते हुये स्थल निरीक्षण हेतु दौरा करने का निर्णय लिया।

4. दिनांक 07.07.2017 से 09.07.2017 तक माननीय उपाध्यक्ष महोदया के नेतृत्व मे आयोग के एक अन्य सदस्य तथा सहायक निदेशक की टीम ने स्थलीय निरीक्षण हेतु किशनगंज का दौरा किया। वहाँ दौरा के पश्चात जो रिपोर्ट बिहार सरकार को भेजी गई उस पर सुसंगत कार्यवाही नही होने तथा विलंब के कारण आयोग का दूसरा दौरा दिनांक 14.11.2017 से 16.11.2017 तक माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा किया गया। इस दौरान प्राप्त शिकायतों और आयोग की अनुशंसा से बिहार सरकार को अवगत कराया गया। किन्तु इस पर भी समुचित कार्यवाही नही होने के कारण अभ्यावेदक ने आयोग से मामले मे न्याय का निवेदन किया।

5. अभ्यावेदक के निवेदन पर आयोग ने दिनांक 15.05.2018 को एक सीटिंग नोटिस भेजकर प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार तथा जिला कलेक्टर, किशनगंज को दिनांक 24.05.2018 को आयोग मे चर्चा के लिए बुलाया।

6. आयोग में चर्चा के लिए जिला कलेक्टर, किशनगंज तथा अंचल अधिकारी, किशनगंज उपस्थित हुए।

7. आयोग ने अभ्यावेदक के प्रतिनिधि से मामले में अपना पक्ष रखने को कहा। अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि आयोग द्वारा दौरा के पश्चात जो

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

अनुशंसा की गई थी उसका पालन नही किया गया है। साथ ही जमीन के बदले कई लोगों को जमीन का दखल-कब्जा नही दिया गया है। जिन लोगों की जमीन चिन्हित की गई है उसका काफी हिस्सा नदी मे आ चुका है, जो कि उपयोग लायक नही है। उन्होने आयोग को यह भी अवगत कराया कि जिन लोगों को जमीन का दखल कब्जा मिल गया है उनमे से कई लोगों ने प्रशासन से मिलीभगत करके उसकी बिक्री भी कर दी है।

8. आयोग ने उपस्थित अधिकारियों से इस विषय में जानना चाहा। जिला कलेक्टर, किशनगंज ने आयोग को अवगत कराया कि बिहार मे आई भीषण बाढ़ के कारण इस कार्य मे थोड़ा विलंब हुआ है। अभी जो जगह चिन्हित की गई है उसमे मक्के की फसल बोई गई है। प्रभावितों को जमीन का दखल कब्जा दिलाने के लिए जमीन का बंदोबस्त किया गया है। पर्चा के मुताबिक जमीन की पैमाइश कर शीघ्र जमीन मुहैया कराई जाएगी। यदि चिन्हित जमीन कम पाई जाती है तो उसके आसपास की जमीन नियमानुसार प्रदान की जाएगी। आवंटित जमीन की बिक्री के संबंध मे उन्होने आयोग को अवगत कराया कि जिन लोगों ने जमीन की बिक्री कर दी है उन्हे नोटिस भेजकर जमीन जब्त की जाएगी।

9. इस प्रकरण पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग यह अनुशंसा करता है कि:-

   (i) जिन प्रभावित आदिवासियों को जमीन का दखल कब्जा नही दिया गया है उन्हे शीघ्र कब्जा दिलाया जाय।

   (ii) नदी मे आई चिन्हित जमीन की जांच कर उसके एवज मे प्रभावित व्यक्ति को दूसरी कृषि योग्य उपयोगी भूमि प्रदान की जाय।

   (iii) जिन लोगों ने अपनी आवंटित जमीन बेच दी है उनकी जांच कराकर उसपर नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

   (iv) निबंधन कार्यालय को शीघ्र नकारात्मक सूची (सरकारी और बंदोबस्त जमीन की सूची) उपलब्ध कराई जाय।

इस संबंध मे शीघ्र कार्यवाही कर आयोग को 30 दिन के अंदर प्रगति रिपोर्ट भिजवाई जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RH/2/2017/STGBH/DELAAL/RU-III)

श्री रामजी हेम्ब्रम, जनजाति हितरक्षा प्रमुख, वनवासी कल्याण आश्रम, शीतला गली, सूतापट्टी, मुजफ्फरपुर, बिहार के द्वारा किशनगंज, बिहार मे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का केंद्र खोलने के क्रम मे वहाँ के जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय को दूर कर कथित रूप से कपट-पूर्वक अवैध तरीके से छीनी गई उनकी भूमि लौटाने के लिए तथा मुआवजा दिलाने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 24.05.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री आर. के. दुबे, सहायक निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री डी. सी. कटोच, परामर्शक

बिहार सरकार के अधिकारी

1. श्री महेंद्र कुमार, जिला कलेक्टर, किशनगंज
2. श्री रमन कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, किशनगंज

अभ्यावेदक

1. श्री अजय कुमार सिंह, वनवासी कल्याण आश्रम, किशनगंज, बिहार
2. श्री चंद्र शेखर राम, किशनगंज, बिहार